राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 5(1)मं.मं./2019 जयपुर, दिनांक 12/05/2022

—::आदेश::—

इस सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.02.2020, 06.03.2020, 06.11.2020, 25.08.2021 एवं 21.09.2021 के अनुसरण में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन तथा उद्योग विभाग के लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति का माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:—

1.	श्री शांति कुमार धारीवाल, मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग।	संयोजक
2.	श्री परसादी लाल, मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
3.	श्री रामलाल जाट, मंत्री, राजस्व विभाग	सदस्य
4.	श्रीमती ममता भूपेश बैरवा, मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
5.	श्री भजन लाल जाटव, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
6.	श्रीमती शकुन्तला रावत, मंत्री, उद्योग विभाग	सदस्य
7.	श्री अर्जुन सिंह बामनिया, राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार)	सदस्य
8.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)	सदस्य

उक्त समिति निम्नांकित प्रकृति के प्रकरणों पर निर्णय ले सकेगी:—

1. (a) रियायती दर पर सामाजिक एवं धार्मिक/चेरीटेबल संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में निर्णय हेतु तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आवंटन नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन के प्रकरणों के संबंध में निर्णय। इनमें शैक्षणिक व चिकित्सालयों को भूमि आवंटन संबंधी प्रकरण भी शामिल होंगें।

   (b) समिति विकसित भूमि का आरक्षित दर का 30 प्रतिशत एवं अविकसित भूमि का डीएलसी दर का 30 प्रतिशत दर तक भूमि आवंटन हेतु निर्णय ले सकेगी।

2. 30 प्रतिशत से कम दर पर भूमि आवंटन करने हेतु प्रकरण मंत्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ रखे जावेंगें।

3. कृषि भूमि के नियमन के ऐसे प्रकरण जिनमें अवाप्त भूमि/राजकीय भूमि के नियमन का प्रस्ताव हो और वे वर्तमान प्रचलित नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हों, में शिथिलता हेतु विचारार्थ रखे जाने वाले प्रकरण।
4. नगरीय क्षेत्रों के जटिल प्रकरण एवं पूर्व निर्णित प्रकरण जिन पर पुनः विचार किया जाना न्यायोचित हो तथा जिनको विभाग निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे।
5. शहरी क्षेत्र में लोक महत्व एवं ढांचागत विकास (Infrastructure Development) के लिए महत्वपूर्ण किसी भी विषय जो दो या अधिक विभागों के मध्य विवादग्रस्त है, का निस्तारण।" जिस विभाग का विषय होगा उसके मंत्री महोदय या प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को भी बैठक में आंमत्रित किया जायेगा।
6. उद्योग विभाग से संबंधित प्रकरण– डी.बी.सिविल रिट पीटिशन (पी.आई.एल.) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12.01.2017 के पैरा–205 के बिन्दु संख्या–XXVII में दिये गये निर्देशों की पालना बाबत।

उक्त समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं विशेषज्ञों को बैठकों मे आमंत्रित कर सकेगी।

उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जावेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, नगरीय विकास विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ठ सहायक, संबंधित मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
8. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
9. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव